

22/3/2022 पत्रावली देया हुई। उभय पक्ष
उपस्थित। बहस जाया सूनी गई। वाद
वर्ती किसी विवादात्मक विद्वत्
निर्णय पुनर्वहे कि विवादात्मक सुनया
जाया। पत्रावली फैसल सुनार होकर
दामिल इफ्तार हो। निर्णय सुनया जाया।

सहायक कमिशनर
एवं पदेन उप प्रभु अधिकारी
डेगाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, डेगाना
(नागौर) राज0

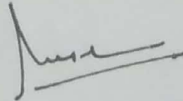
पीठासीन अधिकारी — मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या — 124/2021

वादी — खेमाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति भेघवाल निवासी अड़सिंगा तहसील
जायल जिला नागौर राज0

बनाम

- प्रतिवादीगण—
1. इन्द्रा पुत्री रामूराम जाति बंजारा
 2. कमला पत्नी गोपीराम जाति बंजारा
 3. कैलाश पुत्र मन्नाराम जाति बंजारा
 4. कश्मीरादेवी पुत्री गोपीराम जाति बंजारा
 5. गणेशराम पुत्र रामूराम जाति बंजारा
 6. छोटूराम पुत्र गोपीराम जाति बंजारा
 7. तुलसी पुत्री लिछमणराम जाति बंजारा
 8. धन्नाराम पुत्र रामूराम जाति बंजारा
 9. पतासी पुत्री लिछमणराम जाति बंजारा
 10. महेन्द्र पुत्र लिछमणराम जाति बंजारा
 11. मदन पुत्र लिछमणराम जाति बंजारा
 12. टोडाराम पुत्र लिछमणराम जाति बंजारा
 13. मोहन पुत्र लिछमणराम जाति बंजारा
 14. पानकी पुत्री रामूराम जाति बंजारा
 15. बिरजूराम पुत्र रामूराम जाति बंजारा
 16. भोलूराम पुत्र सावलाराम जाति गवारिया
 17. मनभर पुत्री लिछमणराम जाति बंजारा
 18. मनाराम पुत्र गोपीराम जाति बंजारा
 19. मोडी पुत्री लिछमणराम जाति बंजारा
 20. मोतीराम पुत्र चूनाराम जाति बंजारा



21. रंजनादेवी पुत्री गोपीराम जाति बंजारा
22. विष्णुराम पुत्र रामूराम जाति बंजारा
23. शंकरराम पुत्र चूनाराम जाति बंजारा
24. श्यामलाल पुत्र गोपीराम जाति बंजारा
25. संजनादेवी पुत्री गोपीराम जाति बंजारा
26. सुरेश पुत्र रामूराम जाति बंजारा
27. सुशीला पुत्री गोपीराम जाति बंजारा
28. मुकेश पुत्र हड़मानराम जाति गवारिया
29. खिंयाराम पुत्र हड़मानराम जाति गवारिया
30. हेमाराम पुत्र रामूराम जाति बंजारा
31. बिल्लूराम पुत्र रामूराम जाति बंजारा निवासीयान झगड़वास
तहसील डेगाना जिला नागौर राज.
32. तहसीलदार डेगाना।

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

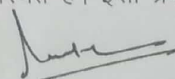
अधिवक्ता वादी — श्री विरेन्द्र चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादी— श्री प्रवीण चौधरी

दिनांक : 22.03.2022

—:: निर्णय ::—

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम झगड़वास तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खेत खसरा नंबर 258 रकबा 4.3000 हैक्टेयर जमीन वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में आयी हुई है तथा पक्षकारान का खातेदारी में अलग-अलग हिस्सा खुला हुआ ह। इसमें वादी का 809/21500 वां हक हिस्सा आया हुआ है। खसरा नंबर 258 का पक्षकारान के बीच मौके पर बंटवारा किया हुआ है। वादी की जमीन के चारों ओर चारदिवारी निर्मित है। उक्त जमीन वादी की क्रयसुदा है। वादी ने खातेदार कैलाश से उक्त जमीन जरिये रजिस्टर्ड बैचान से खरीदी है। वादी की हक हिस्से कब्जे काश्त की जमीन के उत्तर में इसी खसरा की प्रतिवादी कैलाश के बंट की जमीन, दक्षिण में गिरधारी मुण्डेल की जमीन, पूर्व में सड़क व सरकारी जमीन व पश्चिम में प्रतिवादी कैलाश की इसी खसरा की जमीन स्थित है। इसी प्रकार वादी अपने हिस्से की

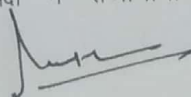


जमीन पर काबिज है तथा मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन उक्त अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अलग खसरा, रकबा, लगान अलग से कायम नहीं होने से वादी अपनी भूमि के रख रखाव व विकास करवाने एवं सरकारी सहायता में प्राप्त नहीं कर पा रहा है तथा वादी के जायज हकों पर कुठाराघात हो रहा है जिससे वादी ने यह वाद बाबत बंटवाड़ा पेश किया है। बिनाय दावा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण आज से 15 रोज पूर्व तब पेश हुआ जब वादी ने प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा करवाने का कहा तब उन्होंने इन्कार कर दिया तब बमुकाम ग्राम झगड़वास पैदा हुआ जो अदालत के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। खातेदार पठानी पत्नी लिछमणराम, हड़मानराम पुत्र किशनाराम फौत हो गये हैं जिनके वारिसान को इस वाद पत्र में प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम झगड़वास तहसील डेगाना के खसरा नंबर 258 रकबा 4.3000 हैक्टेयर भूमि का वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में बताये अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर अलग खसरा, रकबा, लगान कायम किये जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7, 10 से 12, 18, 23, 26, 30 ने वादी के वाद तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 8, 9, 13 से 17, 19 से 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32 के विरुद्ध बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 24.02.2022 को प्राथमिक निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार डेगाना से बंटवाड़ा प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार डेगाना ने पत्र क्रमांक: भूअ./2022/ 894 दिनांक 09.03.2022 से बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये हैं।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। उभय पक्ष वकुलाय ने माफिक राजीनामा व बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

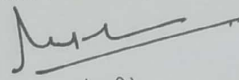
हमने उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। वादी के द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम झगड़वास तहसील डेगाना के खसरा नंबर 258 रकबा 4.3000 हैक्टेयर भूमि की नकल जमाबन्दी संवत् 2075 प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से वादी खेमराम का उक्त भूमि में 809/21500 वां हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी अपने हिस्से की भूमि का पृथक से बंटवाड़ा चाहता है जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। किसी भी खातेदार ने बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय होकर कोई उजर एतराज पेश नहीं किया है। तहसीलदार डेगाना ने अपने बंटवाड़ा प्रस्ताव में वादी खेमराम का हिस्सा दक्षिणी-पूर्वी कौने में 132 गुणा 132 वर्गफीट रकबा 0.1619 हैक्टेयर होना दर्शाया है तथा उक्त हिस्से पर वादी का कब्जा होना दर्शाया है। इस प्रकार वादी खेमराम उक्त भूमि की खातेदारी में दर्ज हिस्से अनुसार ही दक्षिणी-पूर्वी कौने पर काबिज है। चूंकि उक्त भूमि के सहखातेदारान ने वादी के पक्ष में राजीनामा पेश किया है तथा कुछ



सहखातेदारान ने बावजूद पर्याप्त सूचना के उपस्थित होकर कोई एतराज पेश नहीं किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित भूमि राजस्व ग्राम झगड़वास के खसरा नंबर 258 रकबा 4.3000 हैक्टेयर भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा स्वीकृत किया जाकर वादी खेमाराम पुत्र चुन्नीलाल के बंट में उक्त खसरे के दक्षिणी-पूर्वी कोने में 132 गुणा 132 वर्गफीट रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि रखी जाती है। उक्त खसरा की शेष भूमि अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में संयुक्त खातेदारी में रहेगी। इसी अनुसार वादी के हिस्से की भूमि के पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम किये जावें। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। वादी के द्वारा नियमानुसार बंटवाड़ा स्टॉम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।


(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)